बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्री अवधेश कुमार, पिता श्री रामचरण महतो, सा0–रामनगर थाना–नवादा, जिला–नवादा द्वारा दि0–03.09.2014 को पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना को इस आशय का परिवाद पत्र दिया गया था कि कार्यपालक दण्डाधिकारी, नवादा द्वारा 107–द0प्र0स0 के मामले में उनके पुत्र के पक्ष में फैसला लिखने के एवज में रू0 5000/– रिवश्त माँग रहें है। इस परिवाद पत्र का सत्यापन, सत्यापन पदाधिकारी से कराये जाने के पश्चात् निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा एक धावादल का गठन किया गया। आरोपी पदाधिकारी को दिनांक–08.09.2014 को परिवादी से रूपया 4000/– (चार हजार) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड सं0–063/2014 दिनांक–09.09.2014 दर्ज करते हुए कारावास भेज दिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा श्री श्यामदेव के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड सं0– 063/2014 दिनांक–09.09.2014 दायर करने एवं उन्हे कारवास भेज दिये जाने के क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियमवली–2005 के भाग iv के नियम–9 (2) (क) में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत आरोपित पदाधिकारी को आदेश ज्ञापांक–3090 दि0–30.10.2014 द्वारा निलंबित किया गया।

इसी प्रसंग में निगरानी अन्वेषण व्यूरो के पत्रांक–एस0आर0–063/2014 वि0 2943 अप0 शाखा दि0–26.09.2014 द्वारा दायर निगरानी थाना काण्ड सं0–063/2014 दि0–09.09.2014 में भ्र0 नि0 अधि0 1988 की घारा–7/13(2) सह पठित घारा–13 (1)(डी) के अन्तर्गत आरोपित पदाधिकारी को प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं भ्र0 नि0 अधि0 की घारा–19 के तहत अभियोजन चलाये जाने हेतु अभियोजन की माँग की गई। उक्त आलोक में Criminal Procedure Code की घारा–197 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश ज्ञापांक–3111 दि0–20.10.2014 द्वारा अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति दी गयी।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं दायर प्राथमिकी के आधार पर प्रशासनिक प्राधिकारी के स्तर पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लेते हुए इनके विरूद्ध आरोपपत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए क्रारा अधीक्षक आर्दश केन्दीय कारागार बेउर पटना के माध्यम से पत्रांक–3261 दिनांक–05.11.2014 द्वारा इसका तामिला कराया गया और गठित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गई।

कारावास से जमानत पर रिहा होने योगदान करने के पश्चात आदेश ज्ञापांक–2499 दिनांक–14.08.15 द्वारा दिनांक– 24.03.2015 से इसका योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबंन से मुक्त किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में आदेश ज्ञापांक–2500 दि0–14.08.2015 द्वारा पुनः निलंबित किया गया और आदेश ज्ञापांक–2503 दिनांक–17.08.2015 द्वारा विधिवत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

संचालित विभागीय कार्यवाही में डा0 आनंद, उप श्रमायुक्त, गया को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राकेश रंजन, श्रम अधीक्षक, गया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न तिथियों में सुनवाई का कार्य सम्पन्न करते हुए विभागीय कार्यवाही के सुनवाई के दौरान आरोपति पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित बचाव–बयान/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यों की सम्यक रूप से समीक्षा करते हुए प्रशासनिक प्राधिकार को पत्रांक–1084 दिनांक–24.09.2015 द्वारा अधिगम समर्पित किया है। प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा समर्पित अधिगम की समीक्षा में प्रतिवेदन को अपर्याप्त पाया गया तथा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने से संबंधित अभिलेख और सुनवाई के अभिलेख के रिर्पोट की माँग पत्रांक–3892 दिनांक–23.12.2015 द्वारा की गई।

उक्त प्रसंग में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–290 दिनांक–02.03.16 द्वारा अधिगम तथा सुनवाई से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराये गये। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम की समीक्षा प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा में यह बात सामने आयी कि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम मे निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए जो तर्क रखे गये हैं वे परिणाम तक पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। फलतः आदेश ज्ञापांक–2253 दिनांक–24.05.16 द्वारा संचालन पदाधिकारी को मामले की समीक्षा पुनः करने का आदेश दिया गया। इस संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा समीक्षोपरांत पत्रांक–847 दिनांक–30.07.2016 द्वारा अधिगम प्रशासनिक प्राधिकार को समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में अपने निष्कर्ष में श्री अरूण कुमार, पुलिस निरीक्षक सह अनुसंधान कर्त्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा दिनांक–22.09.2014 को पुलिस अधीक्षक, निगरानी

अन्वेषण ब्यूरो पटना को समर्पित जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न दायर प्राथमिकी (063/2014 दिनांक–09.09.2014) परिवादी के परिवाद पत्र/धावादल की कार्रवाई का प्रतिवेदन सत्यापन प्रतिवेदन धावादल गठन का पत्र/प्री–ट्रेप मेमोरेन्डम एवं पोस्ट–ट्रेप मेमोरेन्डम एवं पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अपराध शाखा पटना के पत्रांक–2943 दिनांक–26.09.2014 एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यों के आलोक में गठित आरोपो को प्रमाणित पाया गया है। यथा परिवादी श्री अवधेश कुमार से उनके पक्ष में फैसला लिखने के एवज में रू0, 5000/–(पाँच हजार रूपये) रिश्वत मांगे जाने एवं रू0, 4000/–(चार हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगं हाथ पकड़े जाने की बात को प्रमाणित बताया गया है। इनकी ये कार्रवाई जहाँ एक ओर भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 में किये गये प्रावधान के तहत आपराधिक अपराध है तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में किये गये प्रावधान के तहत विपरित कार्रवाई है जो सरकारी सेवक के लिए उचित नहीं है।

उक्त संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–v। के नियम–17–18 में किये गये प्रावधान एवं नैसर्गिक न्याय के तहत दण्ड निर्धारण के पूर्व आपसे पत्रांक–4361 दि0–07.10.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा मांग की गयी है।

इस संदर्भ में दि0–02.11.2016 को आपके द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा पर स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण की प्रशासनिक प्राधिकार के स्तर पर सम्यक् रूप से समीक्षा में पाया गया है कि आपके स्पष्टीकरण में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है। आपके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान संचालन पदाधिकारी को जो लिखित बचाव बयान दिया गया था उन्ही बातों को पुनः इस स्पष्टीकरण में दुहराया गया है और प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है। आपके विरूद्ध दण्ड दिये जाने के बिन्दु पर आपको अवसर देते हुए विभागीय पत्रांक–1622 दिनांक–26.04.2017 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। आपके द्वारा दिनांक–18.05.2017 को समर्पित स्पष्टीकरण में पुनः पूर्व की बातों को मात्र दुहराया गया है और अन्य जो तर्क रखे गये हैं आपके मामले में अप्रासांगिक हैं।

आपको विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के दौरान संचालन पदाधिकारी द्वारा आपको अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर एवं अपेक्षित कागजात दिये है फिर भी आपके द्वारा ऐसे कागजात की माँग की जाती रहीं है जो संचालन पदाधिकारी प्रशासनिक प्राधिकार के स्तर से दिया जाना संभव नहीं है। पुनः ऐसी ही मांग द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में भी की गई है।

आपके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निम्न गठित आरोप गंभीर प्रकृति के है और जाँच में गठित आरोप स्पष्ट रूप में प्रमाणित पाये गये हैं:–

1. **परिवादी से रू0. 4000/–(चार हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़े जानाः–** श्री अवधेश कुमार, पिता श्री रामचरण महतो, सा0–रामनगर थाना–नवादा, जिला–नवादा द्वारा दि0–03.09.2014 को पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना को इस आशय का परिवाद' पत्र दिया गया था कि कार्यपालक दण्डाधिकारी, नवादा द्वारा 107–द0प्र0स0 के मामले में उनके पुत्र के पक्ष में फैसला लिखने के एवज में रू0 5000/– रिवश्त माँग रहें है। इस परिवाद पत्र का सत्यापन, सत्यापन पदाधिकारी से कराये जाने के पश्चात् निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा एक धावादल का गठन किया गया। आरोपी पदाधिकारी को दिनांक–08.09.2014 को परिवादी से रूपया 4000/– (चार हजार) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।

   संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री अवधेश कुमार से रू0, 4,000/– रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा जाना प्रमाणित हुआ है जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के तथ्यों पर आधारित है।

2. **निजी स्वार्थ में अपने सरकारी पद का दुरूपयोग एवं भ्रष्ट आचरण किया जानाः–** संदर्भित मामले में यह अपेक्षा की जाती है कि निजी स्वार्थ में अपने सरकारी पद का दुरूपयोग एवं भ्रष्ट आचरण किये बिना अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहण सही–सही एवं ससमय सम्पादित किया जाय।
3. **बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में किये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना।**
4. **भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 में स्थापित धाराओं का उल्लंघन किया जाना।**
5. **सरकारी कार्यों के निष्पादन के संदर्भ में स्थापित नियमों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।**

आरोप संख्या–2 से 5 के संदर्भ में संचालित विभागीय कार्यवाही में री श्यामदेव द्वारा प्रतिकार में कुछ नहीं कहा गया है।

परिवादी से आपके विरूद्ध प्रमाणित आरोप जहाँ एक ओर गंभीर प्रकृति के है वही दुसरी ओर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 में किये गये प्रावधानों के विपरित कार्रवाई के साथ–साथ बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1977 में किये गये प्रावधान के विपरित कार्रवाई है। प्रमाणित आरोप लोक हित से जुड़े

हुए हैं और आपका कृत्य आपराधिक कार्य से जुड़ा हुआ है और आपका आचरण भ्रष्ट है और पद के दुरूपयोग का द्योतक है। उपर्युक्त संदर्भ में आपको आगे सेवा में बनाये रखना उचित नहीं है।

फलतः अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट हैं कि श्री श्यामदेव के विरूद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित है तथा उनका आचरण सरकारी सेवा में आगे बनाये रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम के भागः–v के नियम–14 (xi) में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में **श्री श्यामदेव, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, अनुमण्डल, नवादा सदर, (श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग) जिनकी वरीयता क्रमांक–295 है, जन्म तिथि–21.01.1962, नियुक्ति तिथि–06.12.1989 तथा गृह जिला–पटना है को तात्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त [DISMISSED]किया जाता है।**

श्री श्यामदेव को उनके निलंबन अवधि में देय जीवन–यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। श्री श्यामदेव के भविष्य निधि में संचित राशि के अंतिम भुगतान तथा ग्रुप बीमा योजना के तहत संचित भुगतेय राशि के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ भुगतेय नहीं होगा।

उपरोक्त आदेश के साथ संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–52/14 श्र0 सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–52/14 श्र0 सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री श्यामदेव, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी अनुमंडल नवादा, सदर नवादा (श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
द्वारा– श्रम अधीक्षक, नवादा
पता :–श्री श्यामदेव, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी नवादा,सदर नवादा।
पिता– स्व0 रामेश्वर लाल
मो0– दुर्गाचरण लेन गुलजार बाग,
थाना– आलम गंज, जिला –पटना।

निबंधित डाक से पावति सहित

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–52/14 श्र0 सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–सहायक श्रमायुक्त, पटना को सूचन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–श्रम अधीक्षक, पटना, (श्री रणवीर रंजन) को श्री श्यामदेव, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी नवादा,सदर नवादा को बर्खास्त करने से संबंधित आदेश की अतिरिक्त प्रति प्रेषित।

आप निदेशित है कि इस आदेश का तामिला अपने स्तर से श्री श्यामदेव को उनके अवासीय पते पर तामिला कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–52/14 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं गजट प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।